



प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2025-26 में अनुदान संख्या-32 मद में जिला मण्डलीय चिकित्सालय, आजमगढ़ के चिकित्सा इकाईयों के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु उपकरणों एवं साज-सज्जा की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव/2025-26/23589, दिनांक 05.12.2025 एवं पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव/2025-26/684, दिनांक 14.01.2026 के अनुक्रम में मुझे एक कहन का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2025-26 में जिला मण्डलीय चिकित्सालय, आजमगढ़ के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु निम्नलिखित उपकरणों एवं साज-सज्जा के क्रय हेतु कुल धनराशि रुपये 4,40,41,531/- (चार लाख चालीस लाख इकतालीस हजार पांच सौ इकतीस रुपये मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

312 शैययायुक्त जिला मण्डलीय चिकित्सालय, आजमगढ़ की चिकित्सा इकाईयों के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु उपकरणों/साज-सज्जा आदि की प्रस्ताव									
क्र०सं०	इकाई का नाम	उपकरण का नाम	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य (रुपये में) जेम पोर्टल के अनुसार (ए)	जो०एस०टी० दर प्रतिशत में (बी)	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य जो०एस०टी० सहित (ए+बी)	अपेक्षित उपकरणों की संख्या (सी)	कुल धनराशि सहित (रुपये में) (ए+बी)Xसी	उपकरण के पूर्व में उपलब्धता का विवरण	क्रियाशील/ अक्रियाशील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	आई०सी०टी० रीडिंग रूम/स्टेरलाइजेशन/फार्मिंग सिस्टम फार्म	आई०सी०टी० रीडिंग रूम/स्टेरलाइजेशन/फार्मिंग सिस्टम फार्म	165000.00	18	194700.00	10	1947000.00	उपलब्ध नहीं अत्यन्त आवश्यक है	
2	ऑक्सीजन सिलेंडर	ऑक्सीजन सिलेंडर	95000.00	12	106400.00	20	2128000.00	10	जर्जर-क्रियाशील
3	ऑक्सीजन सिलेंडर	ऑक्सीजन सिलेंडर	120000.00	12	134400.00	20	2688000.00	5	जर्जर-क्रियाशील
4	इकाई	एक्स-रे व्यूह बाक्स डबल फिल्म एल०ई०डी०	55000.00	18	64900.00	20	1298000.00	3	जर्जर-क्रियाशील
5		एयर प्यूरीफायर	163500.00	18	192930.00	10	1929300.00	10	क्रियाशील
6		वेईग एण्ड हाईट स्टैंड	7500.00	18	8850.00	5	44250.00	5	जर्जर-क्रियाशील
7		3 सीटर बेंच विथ फोम कुशन एस०एस०टी० उच्च गुणवत्तायुक्त	45000.00	18	53100.00	20	1062000.00	10	जर्जर-क्रियाशील
8		रेडियेशन प्रोटेक्शन पैनल फार डार्क रूम हेतु	175000.00	12	196000.00	4	784000.00	1	जर्जर-क्रियाशील
9		व्हील चेयर	25000.00	18	29500.00	5	147500.00	15	जर्जर-क्रियाशील
10		बैक	35000.00	18	41300.00	5	206500.00	5	जर्जर-क्रियाशील
11	इन्सट्रूमेंट	पी०एन० स्टेरलाइजेशन सेट	12500.00	12	14000.00	2	28000.00	1	जर्जर-क्रियाशील
12	फार्म ओ०टी०	हार्निया सेट	8000.00	12	8960.00	2	17920.00	1	जर्जर-क्रियाशील
13		गालब्लाडर सेट	12500.00	12	14000.00	2	28000.00	1	जर्जर-क्रियाशील
14		हिसऑक्टमी सेट	15000.00	12	16800.00	2	33600.00	1	जर्जर-क्रियाशील

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

15		हाइड्रोसील सटे	6000.00	12	6720.00	2	13440.00	1	जर्जर-क्रियाशील
16		जनरल एनीस्थीसिया सेट	13500.00	12	15120.00	2	30240.00	1	जर्जर-क्रियाशील
17		एम0वी0 किट	5000.00	12	5600.00	2	11200.00	1	जर्जर-क्रियाशील
18		एलिस फारसेप सेट	8000.00	12	8960.00	2	17920.00	1	जर्जर-क्रियाशील
19		यूरेथल डायलेटर सटे	6500.00	12	7280.00	2	14560.00	1	जर्जर-क्रियाशील
20	पैथालाजी	सिगमोइडोस्कोप	20000.00	12	22400.00	2	44800.00	1	जर्जर-क्रियाशील
21		डेस्कटॉप विथ यूपीएस प्रिंटर कम्पलीट	168000.00	18	198240.00	2	396480.00		उपलब्ध नहीं अत्यन्त आवश्यक है
22		एक्सेसरीज मशीन हेतु	150000.00	18	177000.00	2	354000.00		उपलब्ध नहीं अत्यन्त आवश्यक है
23		5 Part Hematology Analyser	168000.00	18	198240.00	1	198240.00	1	जर्जर-क्रियाशील
24		डेस्कटॉप विथ यूपीएस प्रिंटर कम्पलीट	168000.00	18	198240.00	2	396480.00		उपलब्ध नहीं अत्यन्त आवश्यक है
25		एक्सेसरीज 5 पार्ट सी0बी0सी मशीन हेतु	150000.00	18	177000.00	2	354000.00		उपलब्ध नहीं अत्यन्त आवश्यक है
26	चिकित्सा सामान्य	एण्टी स्टैटिक, एण्टी बैक्टीरियल वाल प्रोटेक्टर (दर प्रति मीटर में)	6500.00	18	7670.00	400	3068000.00	N.A.	N.A.
27		सेन्ट्रल ऑक्सीजन सिस्टम विद 4'4 मैनिफोल्ड विद इन्टरकनेक्टेड कापर पाइप लाइन विद एसेसरीज	95000.00	18	112100.00	40	4484000.00	N.A.	N.A.
28		सेन्ट्रल सक्शन सिस्टम विद 4'4 मैनिफोल्ड विद इन्टरकनेक्टेड कापर पाइप लाइन विद एसेसरीज	95000.00	18	112100.00	40	4484000.00	N.A.	N.A.
29		सेन्ट्रल एयर सिस्टम विद 4'4 मैनिफोल्ड विद इन्टरकनेक्टेड कापर पाइप लाइन विद एसेसरीज	95000.00	18	112100.00	40	4484000.00	N.A.	N.A.
30		इन्टरकनेक्टेड कापर पाइप लाइन विद एसेसरीज(दर प्रति मीटर में) 22 MM	7800.00	18	9204.00	75	690300.00	N.A.	N.A.
31		इन्टरकनेक्टेड कापर पाइप लाइन विद एसेसरीज(दर प्रति मीटर में) 15 MM	7300.00	18	8614.00	75	646050.00	N.A.	N.A.
32		आपरेशन थियेटर उच्चीकरण हेतु :-	उपलब्ध नहीं (Plinth Area Rate As Per Cpwd & NABH Specification Of Modular O.T.)						
1	आपरेशन थियेटर	Standing Substructure for paneling Paneling system complete with all installation accessories - Made of 1.5 mm GI profiles, as per minutes, specifications and annexures referred above, for Regular OT.	165254.00	18	195000.00	1	195000.00	N.A.	N.A.
2		Modular double Walled with factory injected PUF, wall paneling system SS 304 grade 1.0 mm front and 0.8 mm back, sheet, panels with tongue & groove joints, site spray painted with antibacterial paint, as per minutes, specifications and annexures referred above for Regular OT. 4 wall (Wall-A,B,C & D)	161017.00	18	190000.00	4	760000.00	N.A.	N.A.
3		Modular double Walled with factory injected PUF, ceiling paneling system SS 304 grade 1.0 mm front and 0.8 mm back, sheet, panels with tongue & groove joints, site spray painted with antibacterial paints, as per minutes, specifications and annexures referred above for Regular OT.	167373.00	18	197500.00	1	197500.00	N.A.	N.A.
4		Laminar Air Flow Ceiling plenum for Regular OT (Annexure -A of minutes)	168644.00	18	199000.00	1	199000.00	N.A.	N.A.
5		HEPA filters as per minutes, specifications and annexures referred	157650.00	18	186027.00	6	1116162.00	N.A.	N.A.

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		above for Regular OT.							
6		Exhaust Air Cabinets/grills, material & finish same as wall panels, as per minutes, specifications and annexures referred above for Regular OT.	100000.00	18	118000.00	4	472000.00	N.A.	N.A.
7		Recess mounted bottom opening OT Peripheral Lights, as per minutes, specifications and annexures referred above for Regular OT.	149580.00	18	176504.00	8	1412032.00	N.A.	N.A.
8		Automatic Single Leaf Sliding door, complete with Automation unit, door leaf material and surface finish same as modular wall, with viewing window minimum - 300 mm x 300 mm, with Foot switch, sizes as below, as per minutes, specifications and annexures referred above,for Regular OT.			0.00		0.00	N.A.	N.A.
9		2100 (H) x 1500 (W)# mm for main entry	166550.00	18	196529.00	1	196529.00	N.A.	N.A.
10		2100 (H) x 1000 (W)# mm for sterilization room entry	164450.00	18	194051.00	1	194051.00	N.A.	N.A.
11		OT Surgeon Control panel, LCD & membrane type panel type with display and controls as per minutes, specifications and annexures referred above, for Regular OT. Size 650 X 650 mm x 100 mm	169100.00	18	199538.00	1	199538.00	N.A.	N.A.
12		OT Surgeon Control panel for Electrical work	159950.00	18	188741.00	1	188741.00	N.A.	N.A.
13		X-ray film viewer, LED dimmable light, for CT images, as per minutes, specifications and annexures referred above, for Regular OT . Size 1200 mm X 650 mm X 100 mm	142950.00	18	168681.00	1	168681.00	N.A.	N.A.
14		2 Bay Surgeon's Scrub station, with 304 grade structure & cabinet splash proof bowl and splash guard made of 304 grade stainless steel, and soap dispensers with foot pedal, as per minutes, specifications and annexures referred above for Regular OT.	197520.00	18	197520.00	1	197520.00	N.A.	N.A.
15		Built-in cabinet system (made of same of material of wall panels), with lockable glass doors & shelves for each OT, sizes as below, as per minutes, specification and annexures referred above, for Regular OT.			0.00		0.00	N.A.	N.A.
16		1200 W x 2100 (H) # for main storage	168650.00	18	199007.00	1	199007.00	N.A.	N.A.
17		Surgeon's Double Arm Pendant (CE Marked) with electrical socket outlets etc. and provision with gas outlet as per minutes, specifications and annexures referred above, for Regular OT.	168250.00	18	198535.00	1	198535.00	N.A.	N.A.
18		Anesthesia Single Arm Pendant (CE Marked) with electrical socket outlets etc. and provision with gas outlet, as per minutes, specifications and annexures above,for Regular OT.	160940.00	18	189909.00	1	189909.00	N.A.	N.A.
19		Glass Window for natural light /	160170.00	18	189001.00	1	189001.00	N.A.	N.A.

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	outside view, double glazed, fixed flush & sealed with wall surface and sealing of annular gap between exiting wall/ window and with motorized controlled louvers, as per minutes, specification and annexures referred above, for Regular OT- Size 1000 X 1200							
20	Dual Dome LED OT Light as per minutes, specifications and annexures referred above, for Regular OT.	168860.00	18	199255.00	1	199255.00	N.A.	N.A.
21	Medical grade isolation transformer, as per minutes, specifications and annexures referred above, for Regular OT.	166650.00	18	196647.00	1	196647.00	N.A.	N.A.
22	Hatch box for dirty disposal, material and finish same as wall panels, with two mechanically interlocked doors, size 600 X 600 X 600 mm, as per minutes, specifications and annexures referred above, for Regular OT.	160990.00	18	189968.00	1	189968.00	N.A.	N.A.
23	Operation theater antistatic conductive 2 mm thick imported PVC tile flooring complete with application of self leveling compound, laying of Copper grounding strips (50 mm wide x min 0.05 mm thick @ 300 mm c/c max both ways), with required adhesive and copper wire connection to grounding terminal, rounded coving and skirting up to bottom of wall panel and thermal welding of all joints complete as per minutes, specifications and annexures referred above, for Regular OT.	163890.00	18	193390.00	1	193390.00	N.A.	N.A.
24	Medical Gas Pipe Line Inside of OT	152690.00	18	191974.00	1	191974.00	N.A.	N.A.
25	Pressure Relief Damper Pressure Relief Damper. Made up of 304 grade stainless steel blades with all accessories.	149960.00	18	176953.00	1	176953.00	N.A.	N.A.
26	SITC of condensing unit with condensor coil, scroll compressor, axial flow fan with internal copper piping with Nitrogen testing vacuumizing & final gas charging etc reqd 8.5 TR Nominal capacity						N.A.	N.A.
27	8.5 Tr Nominal capacity	169490.00	18	199998.00	1	199998.00	N.A.	N.A.
28	5.5 Tr Nominal capacity	156780.00	18	185000.00	1	185000.00	N.A.	N.A.
29	SITC of Floor Mount Double skin AHU complete with fan Section, Fan Motor, cooling Coil with coil section, with face and by pass dampers complete with blower, blower section filter section with microvee filters & pre-filters complete with motor, drive package etc. the capacity of Air Handling Units suitable for 125mm WG Static Pressure for OT's Etc As reqd (without Hepa Filters as Hepa Filters will be installed at terminal in OT's) CFM:2500	169070.00	18	199503.00	1	199503.00	N.A.	N.A.

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

30	SITC of hard copper piping with supporting arrangement with insulation is 19mm nitrile tube etc as reqd						N.A.	N.A.
31	1 1/8 with 19mm nitrile insulation	10594.00	18	12501.00	10	125010.00	N.A.	N.A.
32	7/8 with 19 mm nitrile insulation	7630.00	18	9003.00	10	90030.00	N.A.	N.A.
33	5/8 with 19 mm nitrile insulation	5510.00	18	6502.00	20	130040.00	N.A.	N.A.
34	SITC of expansion valve & catule dryer etc as reqs	46610.00	18	55000.00	2	110000.00	N.A.	N.A.
35	SITC of Outdoor Ms Stand for condensing Unit At etc As reqd	42375.00	18	50003.00	2	100006.00	N.A.	N.A.
36	Supply, fabrication and installation of site fabricated aluminium ducting complete as reqd for below gauge:			0.00		0.00	N.A.	N.A.
37	22 gauge	7630.00	18	9003.00	100	900300.00	N.A.	N.A.
38	20 gauge	16550.00	18	19529.00	30	585870.00	N.A.	N.A.
39	Supply & fixing of Thermal insulation for duct with UV filmed Chemically crossed Linked closed cell Polythylene XPS Fire Retardant Grade Insulation for Supply and Return Air Duct.			0.00		0.00	N.A.	N.A.
40	15 mm	5950.00	18	7021.00	65	456865.00	N.A.	N.A.
41	9 mm	5510.00	18	6502.00	65	422630.00	N.A.	N.A.
42	Supply & Installation of powder coated aluminium Grills/Diffusers with Volume control Damper & Without Volume control Damper	139830.00	18	164999.00	1	164999.00	N.A.	N.A.
43	Supply and installation exhaust arrangement system compersing of exhaust unit complete with blower,blower motor,drive package,dampers at inlet and outlet , filter,outlet cowl and bird screen complete for OT areas complete as reqd.& anodised /powder coated grill of suitable size along with visous filters for return/exhaust duct on (as complete with packing gasket , crews etc. complete in all respect & fresh air arrangement for fresh air AHU's comprising of fresh air intake louver with filters,cowl,volume control damper etc. complete in all respect.	148350.00	18	175053.00	1	175053.00	N.A.	N.A.
44	SITC of floor mounted cubical type main electrical panel for outdoor unit with any starter etc as reqd.)Electrical panel shall be CPRI approved vendors) & supplying and laying of Alumn.cnuctor power cables and copper control cables for AC Equipments.	165260.00	18	195007.00	1	195007.00	N.A.	N.A.
45	Supply and fixing of brass glands / thimbles for end connection for cables with equipments to electrical panel for all size cables & supply & installation of suitable size Cable Tray for Cable.	127200.00	18	150096.00	1	150096.00	N.A.	N.A.
46	Supplying & Laying of GI Earth Wire 6 SWG	2550.00	18	3009.00	50	150450.00	N.A.	N.A.
47	Labour Charges for making opening in RCC slabs and walls & charges for making new opening in Walls and finishing the same.	127120.00	18	150002.00	1	150002.00	N.A.	N.A.
48	#Supply & Installation of Humidification package comprising of Pan type Humidifier , with Humidification tank,	84745.00	18	99999.00	1	99999.00	N.A.	N.A.

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	Heaters, Internal controls/wiring etc.# providing canvass connection for AHU's connection to supply Air Duct.# charges for making PCC foundations for AHU's including all materials like sand,cement,stone etc. #providing vibration isolation pads for AHU's .# Charges for making RCC foundations complete with all material like steel rod, sand, cement , stone etc. for outdoor for AHU								
G.Total		44041531.00							

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 एवं उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट-मैनुअल शासनादेश संख्या-11/2016/253/18-2-2016-3 (एस0पी0)/2010, दिनांक 01.04.2016 में क्रय नियमों/ प्रक्रिया के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था एवं जेम पोर्टल पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं/निगमों के द्वारा जेम से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण लक्ष एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97 (ल030)/2016, दिनांक 23.08.2017 शासनादेश संख्या-7/2020/151/18-2-2020-63(ल030)/12, दिनांक 19.03.2020 शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 25.08.2020, शासनादेश संख्या-17/2021/233/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 31.05.2021, शासनादेश संख्या-42/2021/401/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 26.10.2021, शासनादेश संख्या-23/ 2022/165/18-2-2022-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 29.06.2022 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-233/2021, दिनांक 22.03.2021 उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ-साथ क्रय सम्बन्धी प्रचलित समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है कि शासन व वित्त विभाग की क्रयनीति द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं, नियम, शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन ही समस्त उपकरणों का क्रय किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता में यथोचित भी पायी गयी तो उक्त हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी।
4. उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में जेम/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।
5. चिकित्सा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2020/470/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 12.03.2020 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रूपया 2.00 लाख प्रति उपकरण से कम के उपकरणों (साज-सज्जा एवं फर्नीचर को छोड़कर) का क्रय परिधिगत अधिकारियों द्वारा तथा रूपया 2.00 लाख से अधिक के उपकरणों का क्रय उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लि0 द्वारा अनिवार्यतः जेम पोर्टल से किया जायेगा।
6. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय टर्नकी आधार पर जेम बिड द्वारा ही सम्बन्धित जनपद/चिकित्सालय के परिधिगत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जेम पोर्टल से क्रय अनिवार्यता हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23.08.2017 के अन्तर्गत आवश्यकता को टुकड़े-टुकड़े में क्रय किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना गया है एवं जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की निर्धारित गाइड लाइन्स/रूल्स, सी0वी0सी0 एवं प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स, 2022 के गाइड लाइन्स में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्धों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन प्रत्येक दशा में प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित क्रय अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि को सम्बन्धित जनपद/चिकित्सालय के परिधिगत अधिकारियों को यथावश्यकतानुसार/नियमानुसार हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उपकरणों की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।

9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये हैं। यदि मानक से इतर उपकरण/मशीन प्रस्तावित क्रय किये जाते हैं तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रयाधिकारी का होगा।
 10. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत नये उपकरणों/मशीनों के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों को शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25.11.2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य घोषित कर उनको निस्तारित किया गया है और प्रश्नगत पुराने उपकरण अपना औसत कालावधि पूर्ण कर चुके हैं। निष्प्रयोज्य उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 11. उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए।
 12. प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध हैं।
 13. उपकरणों हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।
 14. विभाग द्वारा उपकरणों की आवश्यकता तथा मानक स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय किये जा रहे उपकरण प्रश्नगत चिकित्सालय के लिये आवश्यक एवं मानकानुसार हैं।
 15. उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल जिन कोषों में जमा कर दिया जायेगा।
 16. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।
 17. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों/कार्यों का पुनरावृत्ति न हो।
 18. उपकरणों की मद चूँकि मितव्ययिता की मद है, अतः इनके लिये व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 19. उपकरणों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रयाधिकारी का होगा।
 20. प्रश्नगत उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि के व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 21. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के क्रय स्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
 22. इस सम्बन्ध में लेखों का मिशन महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज से करके इसकी सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
 23. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।
 24. उपर्युक्त से संबंधित समस्त बिन्दुओं से इतर अन्य किसी राजकीय विभाग के शासनादेश जो क्रय नियमों से सम्बन्धित नहीं हैं, का निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में औचित्य पूर्ण पाये जाने की स्थिति में शासकीय अनुमति के उपरान्त ही अपनाई गई प्रक्रिया नियमानुसार मान्य होगी।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,40,41,531 (रुपये चार करोड़ चालीस लाख इकतालीस हजार पाँच सौ इकतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 4210011106400** जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें **मानक मद-26-मशीनें** और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार राय

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, आजमगढ़।
5. निदेशक (चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़।
9. निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, जिला मण्डलीय चिकित्सालय, आजमगढ़।
10. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/वित्त(व्यय)अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>